राजस्थान सुनवाई का अधिकार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/01/2021 (रा.सुन.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 16.02.2021
G.C.M.S. NO. :-2021/62

श्री श्यामलाल टेलर पिता श्री रामचन्द्र टेलर निवासी सदर बाजार, भादसोड़ा, तहसील भदेसर

बनाम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012

निर्णय

दिनांक 09.03.2021

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा श्री रमेशचन्द्र जी मीणा एवं श्री भजन लाल जी जाटव, माननीय मंत्री महोदय, के समक्ष जन सुनवाई दिनांक 23.09.2019 में परिवाद प्रस्तुत कर श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल एवं श्री जाकिर हुसैन निवासी भादसोड़ा को जारी पट्टों की जांच कराने बाबत् निवेदन किया था उक्त पट्टों की जांच रिपोर्ट अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर यह प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस कार्यालय के पत्रांक प्र. सं./01/2021(सुनवाई का अधिकार)(09.03)/175 दिनांक 16.02.2021 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 09.03.2021 से पूर्व कमेन्ट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 09.03.2021 को सुनवाई के लिए उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/जिपचि/पंचायत/2021/895 दिनांक 26.02.2021 से अपीलार्थी को उसके द्वारा माननीय मंत्री महोदय की जन सुनवाई दिनांक 23.09.2019 में प्रस्तुत परिवाद के संबंध में उक्त पट्टों की जांच रिपोर्ट मय दस्तावेजों के प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र क्रमांक 1873 दिनांक 09.03.2021 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को उक्त पट्टों के संबंध में की गई जांच

राज० सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

रिपोर्ट तो प्राप्त हुई है किन्तु वह सभी छायाप्रतियां उसे उपलब्ध कराई गई है अतः जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जावे तथा जांच रिपोर्ट के कुल 38 दस्तावेज संलग्न होना बताया है किन्तु दस्तावेज/पृष्ठ संख्या 23 एवं 28 संलग्न प्राप्त नहीं हुई है अतः दस्तावेज/पृष्ठ संख्या 23 व 28 भी प्रमाणित करा दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत पत्रांक/जिपचि/पंचायत/2021/895 दिनांक 26.02.2021 तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित पट्टों की जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज के उपलब्ध तो कराई है किन्तु वे सभी छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गई है तथा इस कार्यालय को प्रेषित जांच रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर दस्तावेज/पृष्ठ संख्या 23 एवं 28 संलग्न नहीं होना पाया गया है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पट्टों के संबंध में अपीलार्थी को जो जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज उपलब्ध कराई गई है उसकी एक अतिरिक्त प्रमाणित प्रति मय दस्तावेज/पृष्ठ संख्या 23 व 28 की प्रमाणित प्रति के उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
राज. सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/रा.सुन.अ./01/2021/246
दिनांकः– 09/07/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं लोक सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री श्यामलाल टेलर पिता श्री रामचन्द्र टेलर निवासी सदर बाजार, भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

राज. सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़